न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः—78 / 2018 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः—2018 / 00086

उनवान

1. धोल्या पुत्र श्री गोपीलाल जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. रिषीराज पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल
3. बुद्विप्रकाश पुत्र स्व0 श्री बद्रीलाल

जातियान मीना निवासीयान ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर जरिये मुख्तयार आम मोहन लाल पुत्र श्रीदास मीना जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र ग्यारसा जाति मीना
2. शंकरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासीयान ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार महोदय, लैण्ड होल्डर तहसील सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः—

1. श्री भोलाशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 14.06.2023

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 07 / 2017 बउनवान धोल्या वगैरह बनाम प्रभुलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 3805 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नंबर 6328 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है। जिसे रामकरण पुत्र गोपीलाल मीना निवासी ग्राम सूरवाल को दिनांक 16.11.1981 को विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा वास्तविक रूप से संभला लिया था, लेकिन उक्त भूमि पर भूमि विकास बैंक का लोन होने से रजिस्ट्री नही हो सकी थी। कारण वादी ने 5/– रूपये के स्टाम्प पर एक अपंजीकृत विक्रय पत्र लिखवाकर रखा था। जिसमें प्रतिवादी से लोन चूकता कर रजिस्ट्री कराने बाबत् शर्त रखी थी। तभी से वादीगणों का कब्जा चला आ रहा है। पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार हो चुके है। समस्त रेवेन्यु रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और रेवेन्यु रिकॉर्ड को इस हेतु दुरूस्त फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त दावे मे अंकित विवादित आराजीयात को वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.02.2018 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 01 से मृतक रामकरण जबरदस्ती उक्त आराजीयात छीनना चाहता था, कब्जा नही करने दिया तो प्रार्थी के विरूद्व झूठा दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय (क0ख) व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय सवाई माधोपुर के यहां पेश की। अपील मृतक रामकरण की स्वीकार कर ली गयी जिसके विरूद्व प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी प्रभू बनाम रामकरण के नाम से प्रस्तुत की जिसका निर्णय हो गया है। जिसमें अपील अपीलांट स्वीकार की गई। प्रतिवादी नंबर 01 ने मृतक रामकरण के यहां विवादित भूमि रहन रखी थी भूमि मौके पर होने के कारण उसकी नियम में खोट आने से यह दावा झूठा न्यायालय मे पेश किया है।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.03.18 को न्यायालय सहायक कलेक्टर स0 मा0 के समक्ष धारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 व 151 सी0पी0सी0 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान मे प्रतिवादीगण प्रभू वगैरह की खातेदारी निरन्तर रूप से आज दिन तक चली आ रही है जिस पर भूमि विकास बैंक व वर्तमान मे जिसका बैंक द्वारा प्रथम दृष्टया कब्जा मानकर लोन जारी किया जा चुका है तथा प्रतिवादी प्रभू वगैरह के नाम भारत पेट्रोलियम कारर्पोरेशन लिखित के द्वारा गैस पाईप लाइन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मुआवजा राशि भी प्रार्थी के नाम स्वीकृत की है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात वादीगण का कोई हक अधिकार नही है अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर ने उक्त दावे में दिनांक 20.07.2018 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होने, वादी का वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर होने से, क्षेत्राधिकार से बाहर व न्यायालय के सुनवाई योग्य नही होने के कारण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 रूल 10 व 11 सी0पी0सी0 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के आधार पर वाद पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा पेश की गई है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत मे जो प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट प्रतिवादी द्वारा तहत ऑर्डर 7 रूल 10 व 11 पेश किया, वह विधि विरूद्व था। क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 तो न्यायालय को ये तय करना था कि मातहत अदालत को उक्त दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार है या नहीं। प्रार्थना पत्र मे किसी भी जगह यह नही लिखा गया था कि मातहत अदालत में पेश दावा मातहत अदालत मे पेश नही हो सकता। ऑर्डर 07 रूल 11 सी0पी0सी0 के तहत भी मातहत अदालत में रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के तहत जो आधार वाद पत्र खारिज करने के दिये गये हैं, उनमें से कोई भी आधार रेस्पोडेन्ट ने मातहत अदालत मे अपने प्रार्थना पत्र में प्लीड नही किये गये। ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के तहत सिर्फ वादी का दावा देखा जाता है। प्रतिवादी की डिफेन्स नहीं देखी जाती। ऐसी सूरत मे मातहत अदालत को दावा तनकी बनाकर व साक्ष्य लेकर मेरिट पर निर्णित करना चाहिए था। मातहत अदालत का निर्णय विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अदालत मातहत में रेस्पोडेंन्ट/प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 10 व 11 के अंकित तथ्य सिविल प्रकिया संहिता मे वर्णित आधारों को संतुष्ट नही करते, इस बाबत् पूर्व में कोई दावा उद्घोषणा को पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 मे केवल वादी का वादपत्र देखा जाता है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र व जवाब दावा नही। अपीलांट का दावा इकरारनामा के आधार पर नही होकर घोषणा का दावा इकरारनामा के आधार पर नही होकर घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का था। प्रतिवादी की कब्जा लेने की मियाद समाप्त हो चुकी है। अपीलांट का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 15 व 19 से कवर होता है। यह भी अंकन किया कि निर्णय मे प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को निर्णित ही नही किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि वादी का दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का था। **"कब्जा"** के संबंध मे एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क0ख0) सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश किया था, जो बाद में न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के न्यायालय मे स्थानान्तरित हो गया था। जहां से रामकरण का दावा बाबत् संविदा अनुपालना दिनांक 19.02.1996 खारिज कर दिया गया जो कि मियाद बाहर मानकर खारिज किया गया। उक्त दावे की तनकी संख्या 01 के अनुसार प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित आराजीयात विक्रय कर कब्जा वादी को संभला दिया। उक्त तनकी का न्यायालय द्वारा निर्णय मे अपीलांट/वादी के पक्ष मे विवादित आराजीयात को बेचने व कब्जा संभालने का निष्कर्ष दिया गया। अतः मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 3805 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये नंबर 6328 रकबा 0.92 है0 है। प्रतिवादी नंबर 01 ने रामकरण को 16.11.81 को 8005/– रूपये में कोई बेचान नही किया बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 के फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन हडपने के उद्देश्य से झूठा दावा पेश कर दिया जबकि प्रतिवादी नंबर 01 ने कोई कब्जा नही संभलाया है। यह अपील मात्र प्रतिवादीगण को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से की गई है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 पूर्णतया विधिक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।
7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
8. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम सूरवाल बी तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर खसरा नंबर 6328 रकबा 0.92 है0 प्रभू पुत्र ग्यारसा कौम मीना सा देह खातेदार राहिन भारतीय स्टेट बैंक टाउन एरिया सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अदालत मातहत द्वारा वादीगण के वाद पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 के आधार पर खारिज किया गया है, दीवानी प्रकिया संहित 1908 के अनुसार जिसके मुख्य आधार निम्न प्रकार है:–

(1) जहां वाद हैतुक प्रकट नही करता है।

(2) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है।

(3) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन तो ठीक है परन्तु कम कोर्टफीस पर पेश किया गया है।

(4) जहां वाद विधि द्वारा वर्जित है।

(5) जहां दो प्रतियों मे फाईल नही किया गया है।

(6) जहां नियम 9 के उपबन्धों की अनुपालना करने में वादी असफल रहता है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा रेस्पो/प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जा मजाहमत न करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई थी। स्वयं अदालत मातहत द्वारा भी अपने निर्णय के प्रथम पंक्ति मे यह अंकित किया है कि वादीगण द्वारा एक दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है। इस प्रकार वादपत्र के अभिकथनो के आधार पर यह बिंदु तय करने होंगे कि वादी के नाम कब्जा काश्त मे मजाहिमत ना करने बाबत् क्यो नही स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, और क्यो नही खातेदोरी अधिकारी दिए जावे?

उभयपक्ष के साक्ष्य व शहादत के आधार पर ही इस बिंदु को तय किया जा सकता था। प्रतिवादी द्वारा मातहत अदालत मे आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह कथन किए कि वर्तमान वाद "बार्ड बाइ लैण्ड" है।

अपील मीमों का मुख्य आधार यह है कि अदालत मातहत द्वारा बिना वाद पत्र का अवलोकन किए ही अपीलांट का 36 वर्षो से चला आ रहा कब्जा साबित है। इस तथ्य को अति0 सिविल न्याया0 (क–ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 सवाई माधोपुर ने दीवानी वाद संख्या 20/93 रामकरण बनाम प्रभु की तनकी नंबर 01 निम्न प्रकार से अंकित की गई–" आया दिनांक 16.11.1981 की प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 3805 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा अपंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये विक्रय कर दी और दूसरी अनुपालना में कब्जा वादी को संभला दिया तथा मूल्य 8005/– रूपया वादी से प्राप्त कर लिया, यदि हां तो इसका प्रभाव" जिसे न्यायालय ने निर्णय इस प्रकार निर्णित किया कि " दिनांक 16.11.81 को प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित आराजी खसरा नंबर 3805 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा अपंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये 8005/– रूपये प्राप्त कर उक्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की वादी को बेचने का संविदा किया तथा विवादित आराजी का कब्जा वादी का संभला दिया। विवादयक संख्या 01 तदनुसार वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

9. **प्रथमः**– अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 को स्वीकार करने व वाद पत्र खारिज करने के जो आधार लिए गए है वे तथ्य व विधि के मिश्रित प्रश्न है, जिनका निर्धारण दावा व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए ही निर्धारित किया जा सकेगा। चूंकि प्रकरण में विधि व तथ्य का मिश्रित बिंदु अन्तर्वलित है–प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नही किया जा सकता। अतः मातहत अदालत का निर्णय विधि विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

इसी तथ्य के समर्थन दृष्टांत **2019(1) आर.आर.टी. पेज 264** तथा **2019(1) आर.आर. टी. पेज 116** मे निम्न मत पारित किया गया है जो इस प्रकार हैः–

2019(1) आर.आर.टी. पेज 264

"सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7, नियम 11 व धारा 151–वाद–पत्र का खारिज करना–प्रार्थना–पत्र खारिज किया–प्रार्थी के विरूद्व घोषणा व विभाजन हेतु वाद–साक्ष्य के प्रकम पर प्रार्थना–पत्र पेश किया–वाद में विधि व तथ्य का मिश्रित बिंदु अन्तर्वलित है–प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नही किया जा सकता–निर्णित, आदेश यथावत् रखा।"

2019(1) आर.आर.टी. पेज 116

"सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7,नियम 11–वादपत्र को खारिज करना–प्रार्थना–पत्र खारिज किया–मु. "डी" पत्नी हजारी ने प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की–गणेश प्रतिवादी नंबर 01 ने उसे हजारी का गोद पुत्र घोषित करने हेतू वाद पेश किया–प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी संख्या 01 व 02 को भूमि बेचान की–प्रारम्भिक स्तर पर आदेश 7, नियम 11 के अन्तर्गत घोषणा हेतु वाद खारिज नही किया जा सकता–निर्णित, आदेश में अवैधता नही है व यथावत् रखा तथा तनकीया विरचित करने और प्रारम्भिक तनकियों के रूप में विचारित करने का विचारण न्यायालय को निर्देश दिया।"

द्वितीयः–प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 के संदर्भ मे विचारण न्यायालय को केवल और केवल वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को ही दृष्टिगत रखना होता है, ना कि प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को।

इस तथ्य का समर्थन दृष्टांत **2011(3) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1066** मे निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है।

" सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11–वादपत्र को खारिज करने हेतु आवेदन–पोषणीयता–आवेदन खारिज किया–प्रार्थी प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पेश करने का अधिकार नही है–केवल न्यायालय ही वादपत्र

Scanned with CamScanner

खारिज करने हेतु शक्तियों का उपयोग कर सकता है–निर्णित, आवदेन पोषणीय नहीं था तथा आदेश न्यायसंगत व उचित है।"

अपीलांट का दावा इकरारनामा के आधार पर नही है। जब स्वयं अदालत ने यह माना है कि पूर्व मे उद्घोषणा बाबत् कोई निर्णय किसी न्यायालय मे नही हुआ है तो वाद गलत रूप से खारिज किया है। अदालत मातहत मे दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था, कब्जा मुखालपाना तो वैकल्पिक रूप मे था। वादी मे वादी के वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया है। परन्तु निर्णय मे काउन्टर क्लेम बाबत् कोई निर्णय नही किया गया। इस कारण से मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। मातहत अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 07/2017 बउनवान धोल्या वगैरह बनाम प्रभुलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली मातहत अदालत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर को इन दिशा–निदेर्शो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वाद एवं जवाब दावा काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीवार पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 14.07.2023 को न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष उपस्थित हो।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 14.06.2023 को सुनाया गया।

14.06.23

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner